

OK

26/3/11

प्रेषक,

के०के० सिन्हा,

प्रमुख सचिव एवं राहत आयुक्त,
उत्तर प्रदेश शासन।

संख्या : 1003 / 1-10-2011-14(63) / 2010

सेवा में,

जिलाधिकारी,

औरैया / बदायूँ / गाजियाबाद / सुलतानपुर / मैनपुरी / अम्बेडकरनगर /
फैजाबाद / इलाहाबाद / बिजनौर / कन्नौज / अलीगढ़ /
आजमगढ़ / मुजफ्फरनगर / हरदोई / बस्ती / सोनमद्र / शाहजहाँपुर /
जे०पी० नगर / मुरादाबाद / देवरिया / काशीरामनगर / सहारनपुर /
पीलीभीत / आगरा / श्रावस्ती / बहराइच / रामपुर / कानपुर नगर /
सिद्धार्थनगर / हमीरपुर / झांसी / बलरामपुर / जालौन / लखीमपुर खीरी /
गौतमबुद्धनगर।

राजस्व अनुभाग-10

लखनऊ : दिनांक : 25 मार्च, 2011

विषय : वित्तीय वर्ष 2010-11 में बाढ़ एवं दैवी आपदा राहत निधि से क्षतिग्रस्त सार्वजनिक परिसम्पत्तियों की तात्कालिक मरम्मत एवं विगत वर्षों में टी०आर० 27 के अन्तर्गत समायोजन हेतु घनावंटन।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2010-11 में बाढ़ एवं अन्य दैवी आपदा से प्रभावित व्यक्तियों को राहत सहायता प्रदान करने, तात्कालिक प्रकृति की क्षतिग्रस्त सार्वजनिक परिसम्पत्तियों की मरम्मत एवं पुर्नस्थापना तथा विगत वर्षों में टी०आर० 27 के अन्तर्गत आहरित धनराशि के समायोजन हेतु निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन कुल धनराशि रु० 37,71,26,064/- (रुपये सैतिस करोड़ इकहत्तर लाख छब्बीस हजार चौसठ मात्र) निम्न विवरण के अनुसार आपके निर्वर्तन पर रखने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

क्र० सं०	जनपद का नाम	संदर्भ	आवंटित धनराशि (रुपये में)			
			टी.आर. 27	सार्वजनिक परिसम्पत्तियों	अन्य	कुल
1	औरैया	551सी०आर०ए०-दैवीय आपदा/०7-०8 दिनांक 18 मार्च, 2011	3,02,100			3,02,100
2	बदायूँ	3385(2)/तीन-संग्रह (आपदा)दि०16मार्च, 2011 3309(1)/तीन-संग्रह (आपदा)दिनांक14फरवरी, 2011	22,27,200			22,27,200
				1,00,00,000		1,00,00,000

क्र० सं०	जनपद का नाम	संदर्भ	आवृत्त घनराशि [अपेक्षित]			
			टी.आर. 27	सार्वजनिक परिसम्पत्तियों	अन्य	कुल
3	गाजियाबाद	955/सी०आर०ए०-राहत / 2011 दिनांक 22 मार्च, 2011	6,06,150			6,06,150
		939/सी०आर०ए०-राहत / 2011 दिनांक 11 मार्च, 2011		4,08,000		4,08,000
4	सुलतानपुर	2007-08 के लिए	14,80,000			14,80,000
5	मैनपुरी	2013/सी०आर०ए०(दौआ 10) दिनांक 16 मार्च, 2011	4,34,600			4,34,600
6	अम्बेडकरनगर	892/मु०रा०ले०/दौआ० / टी०आर०-27/धन०/समायोजन दिनांक 18 मार्च 2011	69,00,000			69,00,000
7	फैजाबाद	2184/सी० आर० ए०-13(राहत)/को० नि०-27/समा०/2011 दिनांक 23 मार्च, 2011	40,24,118			40,24,118
		908/सी०आर०ए०-13(राहत)/नाविकिराया/2010-11 दिनांक 22 मार्च, 2011			3,11,915	3,11,915
8	इलाहाबाद	1303/आपदा-(धना०-07-08)-10-11 दिनांक 17 मार्च, 2011	21,54,440			21,54,440
9	बिजनौर	4094/जे०ए०-11 दिनांक 22 मार्च, 2011	8,00,000			8,00,000
10	कन्नौज	178/सी०आर०ए०-दौआ 10-टी०आर०-27 दिनांक 18 मार्च, 2011	3,00,000			3,00,000
11	अलीगढ़	578/दौआलि०-2004-2005 दिनांक 22 मार्च, 2011	8,87,000			8,87,000
12	आजमगढ़	85/आपदा-बजट-2010-11 दिनांक 23 मार्च, 2011	50,00,000			50,00,000
13	मुजफ्फरनगर	880/बाढ़प्रस्ताव दिनांक 18 मार्च, 2011		2,50,00,000		2,50,00,000
14	हरदोई	391/सी०आर०ए०-दौआ०-कृषि निवेश/ 10 दिनांक 18 मार्च, 2011			1,22,41,000	1,22,41,000

क्र० सं०	जनपद का नाम	संदर्भ	आवृत्त घनराशि [ग्राम]			
			टी.आर. 27	सार्वजनिक परिसम्पत्तियों	अन्य	कुल
	हरदोई	383 / सी०आर०ए०द०आ० —पेट्रोल / 11 दिनांक 14 मार्च, 2011			6,13,793	6,13,793
		328 / सी०आर०ए० द०आ० / 11 दिनांक 25 फरवरी, 2011			4,66,325	4,66,325
15	बस्ती	319 / आ०लि० / 2010— 11 दिनांक 02 फरवरी, 2011		39,19,000		39,19,000
16	सोनमढ़	1728 / मु०रा०ले०—द०वी य आपदा —2010—11 दिनांक 11 फरवरी, 2011		44,23,000 (पेयजल)		44,23,000
17	शाहजहाँपुर	362 / सी०आर०ए०(आप दा) दिनांक 14 नवम्बर, 2011		1,00,00,000		1,00,00,000
18	जो०पी० नगर	17 / 13—16(2009—10) जो०ए० दिनांक 05 अक्टूबर, 2010		20,00,000		20,00,000
19	मुरादाबाद	724 / प्रा०आ०सहा० / 2 010—11 दिनांक 26 फरवरी, 2011		2,50,00,000		2,50,00,000
20	देवरिया	1187(1) / आपदा—2011 दिनांक 28 फरवरी, 2011		3,67,16,000		3,67,16,000
21	काशीरामनगर	308 / सी०आर०ए०—द० आ० / 2011 दिनांक 08 मार्च, 2011		111,32,000		111,32,000
22	सहारनपुर	1126 / सी०आर०ए०(द० आ०) दिनांक 28 सितम्बर, 2010		6,00,00,000		6,00,00,000
23	पीलीभीत	197—99 / टी०ए०सी० / बाढ़ आपदा / रैस्टोरेशन / 2010—11 दिनांक 23 अक्टूबर, 2010		1,50,00,000		1,50,00,000
24	आगरा	753 / 754 / विविध लिपिक दिनांक 22 मार्च, 2011		1,00,00,000		1,00,00,000
25	श्रावस्ती			1,00,00,000		1,00,00,000

-4-

क्र० सं०	जनपद का नाम	संदर्भ	आवंटित धनराशि [अपेक्षित]			
			टी.आर. 27	सार्वजनिक परिसम्पत्तियों	अन्य	कुल
26	बहराइच	1154 / आपदा-तैरह- समायोजन / 11 दिनांक 18 मार्च, 2011	70,00,000			70,00,000
		1166 / आपदा-तैरह-घ नावटन / 11 दिनांक 25 मार्च, 2011			5,93,649	5,93,649
27	रामपुर	274 / दै०आ० दिनांक 08 मार्च, 2011		1,00,00,000		1,00,00,000
28	कानपुर नगर	1635 / 13-वि० / 10 दिनांक 22 जनवरी, 2011		95,00,000		95,00,000
29	सिद्धार्थनगर			1,00,00,000		1,00,00,000
		468 / रा०लि० / 2010- 11 दिनांक 18 मार्च, 2011	30,00,000			30,00,000
30	हमीरपुर	1711 / सी०आर०ए०-13 -दै०आ० / 2010-11 दिनांक 18 मार्च, 2011	50,00,000			50,00,000
31	झांसी	3782 / मु०रा०आ०-03(13) / दै०आ० / 2010-1 1 दिनांक 27 अगस्त, 2010	2,30,00,000			2,30,00,000
32	बलरामपुर	1502 / सी०आर०ए०(दै० आ०-टी०आर०-27-स मायोजन) / 11 दिनांक 18 मार्च, 2011	1,50,00,000			1,50,00,000
32	जालौन	140 / 3-सी०आर०ए० दिनांक 18 मार्च, 2011	2,00,00,000			2,00,00,000
33	लखीमपुर खीरी	13 / टी०आर० 27-आहरण / 2011 आ०रा०लि० दिनांक 18 मार्च, 2011	31,85,774			31,85,774
34	गौतमबुद्धनगर	860 / सी०आर०ए० / 20 10-11 दिनांक 23 मार्च, 2011	85,00,000			85,00,000
योग [अपेक्षित]			109801382	253098000	14226682	377126064

2. उक्त स्वीकृति के फलस्वरूप होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2010-11 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-51 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक "2245-प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत-आयोजनेत्तर-05-आपदा राहत निधि-800-अन्य व्यय-03-आपदा राहत निधि से व्यय-42-अन्य व्यय" के नामे डाला जायेगा।

3. बाढ़ से तात्कालिक प्रकृति की अपरिहार्य परिस्थितियों वाले अर्ह एवं अनुमन्य श्रेणी की क्षतिग्रस्त सार्वजनिक परिसम्पत्तियों की तात्कालिक मरम्मत मद में धनराशि

शासनादेश संख्या-3253/1-10-2008-12(73)/2008, दिनांक 22 सितम्बर, 2010 में निर्धारित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन ही व्यय किया जायेगा। इस धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका एवं अन्य सुसंगत नियमों/शासकीय निर्देशों के अधीन ही किया जायेगा। इस धनराशि का उपयोग अन्य किसी भी विभागीय कार्य हेतु कदापि न किया जाय।

4. उक्त धनराशि का व्यय प्रस्तर-3 व 4 में संदर्भित शासनादेश दिनांक 31 जुलाई, 2007 एवं शासनादेश दिनांक 22 सितम्बर, 2010 के साथ संलग्न भारत सरकार की गाइड लाइन्स में निर्धारित एवं अर्ह मानकों मर्दों के अनुसार ही किया जायेगा।

5. वर्ष 2010-11 में बाढ़/बादल फटने से क्षतिग्रस्त सार्वजनिक परिसम्पत्तियों की तात्कालिक मरम्मत/रेस्टोरेशन की परियोजनाओं को 31 मार्च, 2011 तक अनिवार्य रूप से पूर्ण कर लिया जाय तथा नियमानुसार उपभोग प्रमाण-पत्र शासन को उपलब्ध कराया जाय। आपदा राहत निधि की धनराशि का व्यय सक्षम अधिकारी द्वारा वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त करने के उपरान्त नियमानुसार प्रक्रिया का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए निर्धारित अवधि के अन्दर किया जायेगा। तात्कालिक प्रकृति के अपरिहार्य परिस्थितियों वाले मरम्मत/रेस्टोरेशन कार्यों की परियोजनाओं को खण्डों में कदापि विभाजित नहीं किया जायेगा, अपितु निरन्तरता वाले विभिन्न परियोजनाओं को एक ही परियोजना माना जायेगा।

6. उक्त स्वीकृत धनराशि केवल वित्तीय वर्ष 2010-11 में दैवी आपदाओं से प्रभावित व्यक्तियों को राहत पहुँचाने के निमित्त व्यय की जायेगी। इससे पूर्व वर्षों के दायित्वों का निर्वहन नहीं किया जायेगा।

7. कतिपय प्रकरणों में यह भी देखने में आया है कि आवंटित धनराशि एक मुश्त किसी सरकारी विभाग या स्थानीय प्राधिकारी को हस्तगत कराकर अपने कर्तव्य की इतिश्री कर ली जाती है। यह स्थिति उचित नहीं है। निधि से प्रदत्त धनराशि आपदा राहत हेतु प्रदान की जाती है। अतः आपदा के अनुसार राहत की आवश्यकता का निर्धारण करना, तदनुसार धन उपलब्ध कराना तथा इसका सदुपयोग सुनिश्चित कराना, व्यय का पूर्ण विवरण शासन को निर्धारित तिथि तक उपलब्ध कराना जिलाधिकारी का कर्तव्य है। अतः आपदा राहत निधि से प्रदत्त धनराशि का प्रत्येक स्तर पर पूर्ण सजगता के साथ समुचित प्रयोग सुनिश्चित किया जाय।

8. आपदा राहत निधि से स्वीकृत धनराशि का जिला स्तर पर समुचित लेखा-जोखा रखा जाय तथा माह के अन्त में लेख रजिस्टर जिलाधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित किया जाय और मदवार मासिक व्यय विवरण शासनादेश संख्या-1693/1-11-2005-रा0-11, दिनांक 20 जून, 2005 द्वारा प्रसारित प्रारूप पर अगले माह की 05 तारीख तक उपलब्ध कराने के साथ ही उक्त तिथि तक इसे राहत आयुक्त की वेबसाइट <http://rahat.up.nic.in> पर भी फीड करवाना सुनिश्चित किया जाय। शासन द्वारा आवंटित धनराशि में से यदि बचते संभावित हों तो उन्हें दिनांक 31 मार्च, 2011 से पूर्व शासन को समर्पित कर दिया जाय।

9. टी0आर0-27 में आवंटित धनराशि का आहरण कर इसी वित्तीय वर्ष में समायोजन सुनिश्चित कर उक्त का पुस्तांकन महालेखाकार कार्यालय में कराया जाये

- 6 -

तथा कृत कार्यवाही से शासन को भी ससमय अवगत करा दिया जाए। भविष्य में टी0आर0-27 से आहरण अहैतुक सहायता मद में आपदा से मृत्यु की स्थिति में ही किया जाए, अन्य मदों में टी0आर0-27 से आहरण कदापि न किया जाए।

10. उक्त धनराशि का उपभोग प्रमाण-पत्र वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड-5 भाग-1 के प्रस्तर-369 एच के अधीन निर्धारित प्रारूप संख्या-42 आई में शासन को तुरन्त उपलब्ध कराया जाय।

11. व्यय की धनराशि का महालेखाकार कार्यालय में सही मदों में पुस्तांकन कराया जाय और प्रत्येक माह में महालेखाकार कार्यालय से आंकड़े समाधानित एवं सत्यापित कराकर शासन को सूचित किया जाय।
संलग्नक-यथोपरि।

भवदीय
12.12.2011
(के0के0 सिन्हा)
प्रमुख सचिव एवं राहत आयुक्त

संख्या-1003 / 1-10-2011-14(63) / 2010, तददिनोंक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1-महालेखाकार-प्रथम/आडिट प्रथम, उ0प्र0 इलाहाबाद।

2-संबंधित मण्डलायुक्त, उ0प्र0।

3-आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद, उ0प्र0, लखनऊ।

4-वरिष्ठ तकनीकी निदेशक, एन0आई0सी0, योजना भवन लखनऊ को राहत की वेबसाइट <http://rahat.up.nic.in> पर अपलोड किये जाने।

5-वरिष्ठ वित्त एवं लेखा अधिकारी, कार्यालय राहत आयुक्त।

6-संबंधित मुख्य /वरिष्ठ कोषाधिकारी, उ0प्र0।

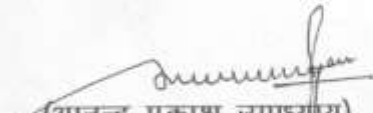
7-वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-5।

8-समीक्षा अधिकारी (लेखा) राजस्व अनुभाग-10/राजस्व अनुभाग-6/11 राहत वेबसाइट के उपयोगार्थ।

9-निजी सचिव, प्रमुख सचिव राजस्व एवं राहत आयुक्त, उ0प्र0 शासन।

10- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,


(आनन्द प्रकाश उपाध्याय)
संयुक्त सचिव, राजस्व